न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 05/2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– मोहम्मद इस्माइल पुत्र इमामुदीन आयु 64 वर्ष निवासी प्लाट संख्या 339, तिरूपति नगर, खसरा संख्या 4853, नान्दडी, जोधपुर हाल गायों की फाटक, उदयमंदिर आसन, जोधपुर		1–रईसा पत्नी इमामुदीन निवासी उमर खां बिल्डिंग, स्टेडियम सिनेमा के पास, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 इमामुदीन बनाम मोहम्मद इस्माइल में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थी उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 सपठित धारा 23, 24 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं सपठित धारा 21 राजस्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 बाबत प्रत्यर्थीपक्ष की जायदाद से प्रार्थीपक्ष/अपीलार्थी को बेदखल कर कब्जा दिलाने एवं भरण पोषण राशि दिलाने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 28.12.2022 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी एवं अन्य पुत्र मोहम्मद असलम द्वारा भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को 6000/– रूपये (प्रत्येक से 3000/– रूपये) देने, मारपीट व अभद्र व्यवहार नहीं करने एवं अप्रार्थी के रहवासीय मकान में उसके रहने में व्यवधान उत्पन्न नही करने के आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 09:36:06 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

रिपेयरिंग करवाने को आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (05/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामील/अदम तामिल नही लौटे, प्रत्यर्थीपक्ष स्वंय उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट दिनांक 06.03.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. उनकी माता है तथा प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 एवं राजस्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के तहत प्रत्यर्थी की जायदाद से प्रार्थीपक्ष/अपीलार्थी को बेदखल कर कब्जा दिलाने एवं भरण पोषण राशि दिलाने हेतु आवेदन करने के उपरांत अधीनस्थ अधिकरण द्वारा बिना अपीलार्थी को नोटिस तामिल हुए, उनका पक्ष बिना सुने आदेश पारित कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थी स्वयं वरिष्ठ नागरिक है व प्रत्यर्थीपक्ष व अपीलार्थी के अन्य भाई मोहम्मद असलम द्वारा जानबूझकर षडयंत्रपूर्वक अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जारी नोटिस का तामिल नही करवाई गई अतः अपील स्वीकर करते हुए अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जावे।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के अन्य दो भाई मोहम्मद असलम व फिरोज है, जिनमें से फिरोज अविवाहित है तथा रेस्पोडेण्ट के साथ निवास करता है व फिरोज को पक्षकार नही बनाया गया है, साथ ही रेस्पो. की परित्यक्त पुत्री, विकलांग पुत्री की जिम्मेदारी भी रेस्पोडेण्ट पक्ष की है। बहस में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ अभिकरण द्वारा जारी भरण पोषण के आदेश की पालना अपीलार्थी द्वारा नही करने से अपील को खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) द्वारा अपीलार्थी को नोटिस तामिल नही करने से बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय आदेश पारित करने से अधीनस्थ अधिकरण के पारित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई। राजस्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के धारा 6 (1) द्वारा स्पष्ट किया कि अधीनस्थ अधिकरण विरोधी पक्षकार को " आवेदक के माध्यक से दस्ती प्रदाय द्वारा यदि वह ऐसी वांछा करे अन्यथा आदेशिका तामिलकर्ता के माध्यम से या रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा" नोटिस जारी करायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 09:56:06 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अतः अपीलार्थी के स्वयं का वरिष्ठ नागरिक होने से, अपीलार्थी को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा नोटिस तामिल नही करने व अन्य किसी माध्यम यथा रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नोटिस प्रेषित करने का प्रयास न करके, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने से अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2022 में अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश को अपास्त किया जाकर उक्त आदेश में प्रत्यर्थी के अन्य पुत्र मोहम्मद असलम के विरूद्ध आदेश को यथावत रखा जाता है। अतः अधीनस्थ अधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को पुनः रिमाण्ड कर अपीलार्थी मोहम्मद इस्माइल पुत्र इमामुदीन को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर निर्णित करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकारण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 09:56:06 IST
Reason: SelfAttested